(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 599–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–1–2016 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर प्रकरण कमांक 37/अ–6/2011–12.

हरिनन्दन पिता कालुराम तम्बोली
निवासी ग्राम पिपलिया मण्डी
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामचन्द्र पिता मांगीलाल
निवासी ग्राम पिपलिया मण्डी
तहसील मल्हारगढ़

2– बाबूलाल पिता प्यारचंद
निवासी ग्राम काचरिया चन्द्रावत
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी.के. तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 रामचन्द्र द्वारा ग्राम पिपल्या पंथ स्थित सर्वे नम्बर 385 पैकी रकबा 0.063 हेक्टेयर भूमि अनावेदक कमांक 2 बाबूलाल से दिनांक 20–12–11 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किया जाकर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर को प्रस्तुत किया गया । उक्त नामान्तरण में आवेदक के पुत्र आपत्तिकर्ता सुनील पिता हरिनन्दन द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने से पटवारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ–6/2011–12 दर्ज कर दिनांक 30–7–12 को आपत्तिकर्ता सुनील की

आपत्ति निरस्त करते हुए प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया । तदोपरान्त आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 का आवेदन पत्र एवं एक अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–1–2016 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक भूमिस्वामी है, उक्त भूमि आवेदक द्वारा रामगोपाल के पास गिरवी रखी थी, और राशि अदा करने पर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को वापिस कर रजिस्ट्री से क्रय करने का अधिकार दिया था । यह भी कहा गया कि रामगोपाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को वापिस विक्रय पत्र नहीं कराते हुए शासन से स्टाम्प की चोरी करते हुए डिक्री कराई थी, अतः प्रश्नाधीन भूमि का हस्तांतरण विक्रय नहीं होकर वास्तव में गिरवी बंधक का संव्यवहार था और रामगोपाल की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा मधुवाला ने प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 बाबूलाल को विक्रय कर दी तथा अनावेदक कमांक 2 बाबूलाल ने उक्त भूमि अनावेदक कमांक 1 रामचन्द्र को विक्रय कर दी गई। तर्क में यह भी कहा गया कि दीवानी प्रकरण कमांक 75 ए/1987 में पारित डिक्री की कानून रूप से नानजाइन्डर आफ पार्टी की गलती से निष्पादन योग्य नहीं होने से शून्य है तथा ऐसी डिक्री को कभी भी चुनौती दी जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शून्य विक्रय के आधार पर पारित सभी नामान्तरण आदेशों को कभी भी अपास्त किया जा सकता है, इसी बावत आवेदक की आपत्ति थी, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में जितने भी विक्रय पत्र निष्पादित हुए हुए हैं, उन सभी में प्रश्नाधीन भूमि की चर्तुसीमा भिन्न–भिन्न दर्शायी गई है, जिससे प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय पत्र संदेहास्पद होने से केतागण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि उक्त डिक्री का व्यवहार बंधक का था, किन्तु शर्त अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर निरन्तर कब्जा आवेदक का ही रहा है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक हितबद्ध पक्षकार था और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे किन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक को पक्षकार नहीं बनाने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिवत निराकरण

करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाकर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक के पुत्र सुनील द्वारा आपत्ति की गई थी, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–7–12 को आदेश पारित कर निरस्त की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी भी निरस्त हो चुकी है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का न तो भूमिस्वामी है और न ही सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर